# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
## पीठासीन अधिकारी—श्री रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र — 31/25(2025/44)

तारीख रज्जू— 16/01/25

आम जनता ग्राम अमावारा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर जरिये ग्रामवासी

1. नेहन्या पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम अमावरा।
2. मदन पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम अमावरा।
3. मानसिंह पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम अमावरा।
4. उदयसिंह पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम अमावरा।
5. छोटेलाल पुत्र लालचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम अमावरा।
6. सुखजी पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अमावरा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बसराम पुत्र सरूपा जाति बंजारा निवासी ग्राम अमावरा तहसील बामनवास।
2. रमेशी पुत्री सरूपा जाति बंजारा निवासी ग्राम अमावरा तहसील बामनवास।
3. कैलाश पुत्र जगन जाति मीना निवासी ग्राम अमावरा।
4. सरकार जरिये अध्यक्ष महोदय, आवंटन सलाहकार समिति , उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी।

— अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक— 23-08-2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम अमावरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5349/4996 रकबा 5 बीघा का सरूपा पुत्र श्योराम उर्फ श्योनारायण जाति बंजारा के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 29.05.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 29.05.1986 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से स्थानान्तरण होकर वास्ते बहस न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी सं0 3 द्वारा आपत्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उभय पक्षों की आपत्ती प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने आपत्ती प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते बहस नियत है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा जिस वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। वह आराजी विपक्षीगण 1 व 2 के पूर्वज सरूपा को आवंटित हुई है। आवंटन के पश्चात् से आवंटी सरूपा व उसकी मृत्यु के पश्चात् सरूपा के वारिसान विपक्षीगण 1 लगायत 2 वादग्रस्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त करता आया है। आवंटी सरूपा व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:54:17 IST
Reason: SelfAttested

उसकी मृत्यु के पश्चात् सरूपा के वारिसान विपक्षीगण 1 लगायत 2 वादग्रस्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते रहने पर विधि अनुसार बाद जांच गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई है। विपक्षीगण 1 लगायत 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी को सन् 2018 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विपक्षी सं0 3 कैलाश को बेचान कर दी है तब से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी सं0 3 कैलाश काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। आंवटित भूमि के गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् उपरोक्त प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पेश नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीपक्ष द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2018 को भी चेलेन्ज नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि वर्तमान में बैक के नाम रहन दर्ज हैं, लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा बैक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए आवेदकगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है, साथ ही वकील अप्रार्थी सं0 2 ने आपत्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी की और से अपने प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में जो विवरण लिखा है , वह अपूर्ण लिखा है। सही विवरण यह है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 5349/4996 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 29.05.1986 को सरूपा पुत्र श्योराम उर्फ श्योनारायण जाति बंजारा निवासी अमावरा को अलॉट हुई थी। उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1547 का हाल खसरा नम्बर 4996 रकबा 61 बीघा 21 एयर किस्म बंजर है, और मौके पर यह भूमि नले व गढढेदार है। यह रिपोर्ट पटवारी से सरूपा पुत्र श्योराम बंजारा निवासी अमावरा के आवेदन पत्र में यह रिपोर्ट की है कि आवेदक द्वारा चाहा गया साबिक खसरा नम्बर 1547 हाल खसरा नम्बर 4996 रकबा 61 बीघा 21 बिस्वा किस्म बंजड है, और मौके पर यह भूमि नले व गढढेदार है। इस प्रकार यह भूमि काबिल अलॉटमेन्ट न होकर नले नाले, जंगलात व वन विभाग की भूमि है। जो कि अविधिक रूप से किस्म बंजड़ में परिवर्तन कर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता सरूपा को अलॉट कर दी गयी थी। यह समस्त अंकन विधि विरूद्ध किये गये है। गैरमुमकिन नाला, अंगीर नदी, नाले ,पोखर आदि की भूमि धारा 16 टी0एन0सी0 एक्ट एवं राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ यह भू–आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन / नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय उच्च न्यायालय के जनहित याचिका सं0 5336/03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार आर0आर0टी0 2005 (1) 59 व इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय आर0आर0टी0 2024 (1) पेज 228 में प्रतिपादित किया है कि वरवक्त आवंटन भूमि गैरमुमकिन नाला के रूप में दर्ज थी। जिसका आवंटन के रूप में दर्ज की जो कि भूमि आवंटन के योग्य नहीं थी, न भू–प्रबन्ध विभाग किस्म को परिवर्तन करने हेतु सक्षम था। आवंटन का आदेश व खातेदारी रद्द किये जाने का आदेश दिया गया तथा उक्त भूमि गैरमुमकिन नाले में पुनः दर्ज की गयी। आवेदक सरूपा द्वारा अपने आवेदन पत्र में फर्द मौका रिपोर्ट में आवेदक की जाति नट दर्ज कर रखी है और कब्जा देना बताया है। कब्जा पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार बंजारा (ओ0बी0सी0) नट (एस0सी0) तथा मीना जाति (एस0टी0) में आते है। विपक्षी संस0 3 द्वारा यह भूमि सन् 2018 कैलाश पुत्र जगन मीना द्वारा खरीदना बताया है। इस प्रकार भी यह ट्रांसफर टी0एन0सी0एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 1 ने अपने शपथ पत्र में लिखकर दिया है कि मेरे पिता सरूपा को अलॉट की गयी इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, और ना ही काश्त की है। इसी प्रकार मेरा भी इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा और नाही मैने कभी काश्त की है। मेरे द्वारा अप्रार्थी सं0 3 के कहने पर केवल रजिस्ट्री करवायी है। इस प्रकार इस भूमि के बगल में खसरा नम्बर 5348/4996 कैलाश पुत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:54:17 IST
Reason: SelfAttested

पांच्या जाति नट को अलॉट हुयी थी। जिसकी खातेदारी निरस्त करके उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी है, साथ ही वकील प्रार्थी ने उक्त आपत्ती प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आरजीयात राजस्व रिकोर्ड खसरा गिरदावरी में बारानी दर्ज है। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि नदी नाले व जगलात (वन विभाग) की होना बताया है। लेकिन वकील प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी/खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि नदी नाले व जगलात (वन विभाग) की भूमि हो। वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2024 के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के उक्त आराजी खं0नं0 कैलाश पुत्र जगनलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता )एसबीआई शाखा सुकार के नाम दर्ज रिकोर्ड है। उक्त आराजी खं0नं0 वर्तमान मौके पर जुता हुआ है। मौके पर कोई पक्का निमार्ण नहीं है। वर्तमान में मौके पर खातेदार द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। वकील अप्रार्थी सं0 2 द्वारा उक्त वाद आराजीयात का जरिये रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 15.05.2018 को किया जा चुका है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आंदिनांक तक चेलेन्ज नहीं किया गया है, साथ ही वकील प्रार्थीगण द्वारा बैक जो अहम पक्षकार है। उसे भी उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रामकिशोर मीना )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:54:17 IST
Reason: SelfAttested